दिनांक 30.10.2023

पत्रावली पेश हुई। वाद पुकारा गया। राज्य की ओर से विद्वान अभियोजन अधिकारी श्री राजीव डोभाल न्यायालय में उपस्थित। अभियुक्त मय विद्वान अधिवक्ता श्री सुबोध भट्ट न्यायालय में उपस्थित। पत्रावली निर्णय हेतु नियत है। निर्णय खुले न्यायालय में सुना गया। आदेश हुआ कि दोषसिद्ध सुमित कुमार को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–380 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं मु0–1,000/–रूपये (एक हजार रूपये) जुमाने से दण्डित किया जाता है एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा–411 के अंतर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं मु0–1,000/–रूपये (एक हजार रूपये) जुमाने से दण्डित किया जाता है। जुर्माना अदा न करने पर दोषसिद्ध अभियुक्त प्रत्येक धारा में सात दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। अभियुक्त द्वारा इस मामले में पूर्व में कारावास में बिताई गई अवधि, यदि कोई हो तो, इस दण्डादेश में समायोजित की जायेगी। माल मुकदमाती यदि कोई हो, अपील अवधि के उपरांत तथा अपील होने पर अपीलीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में नियमानुसार व्ययनित किया जाए। इस निर्णय की एक प्रति निःशुल्क दोषसिद्ध को अविलम्ब प्रदान की जाए। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरांत नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(रजनीश मोहन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्र0श्रे0)
श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।